भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 2579

गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

शुल्क में भारी वृद्धि

2579. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री प्रतापराव जाधवः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के छोटे विमानपत्तनों पर लैंडिंग/पार्किंग और प्रयोक्ता विकास शुल्क में बड़ी वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन विमानपत्तनों पर उक्त वृद्धि/बढ़ा हुआ प्रभार लागू होगा;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान पहले से ही घाटे में चल रहे इन छोटे विमानपत्तनों पर प्रभारों में इस प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा वृद्धि से उन्हें किस प्रकार लाभ होगा और राजस्व की कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा; और

(ङ) क्या लैंडिंग/पार्किंग शुल्क और प्रयोक्ता विकास शुल्क में इस प्रकार की वृद्धि से उक्त विमानपत्तनों से यात्री यातायात प्रभावित होगा और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने 2009 में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की है जिसका कार्य, प्रमुख हवाईअड्डों पर वैमानिकी सेवाओं के किराए, यात्रियों पर लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करना और सेवाओं के निर्धारित कार्य-निष्पादन मानकों की निगरानी करना है। समय-समय पर यथासंशोधित ऐरा अधिनियम, 2008, के अनुसार, प्रमुख हवाईअड्डों को ऐसे हवाईअड्डों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी वार्षिक यात्री क्षमता, साढ़े तीन मिलियन से अधिक है या ऐसा कोई हवाईअड्डा या हवाईअड्डों का एक समूह जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में ऐरा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत 27 हवाईअड्डे, प्रमुख हवाईअड्डे हैं।

ऐरा के दायरे में न आने वाले, गैर-प्रमुख हवाईअड्डों को, समय-समय पर यथासंशोधित वायुयान अधिनियम, 1934 और वायुयान नियम, 1937, के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा विनियमित किया जाना अपेक्षित है। नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने, गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए शुल्क विनियमन के सिद्धांतों का प्रस्ताव करने वाला एक अवधारणा पत्र प्रकाशित किया है। अवधारणा पत्र ऐसे हवाईअड्डों पर, मौजूदा शुल्क में बढ़ोतरी करते हुए, शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से गैर प्रमुख हवाईअड्डों को, तीन समूहों में वर्गीकृत करता है। इस पहल का उद्देश्य, विनियामक अनिश्चितताओं को कम करना, हवाईअड्डा प्रचालकों को उनके द्वारा निवेश की गई संपत्तियों के लिए उचित दर पर रिटर्न दिलाना और प्रचालन की वित्तीय व्यवहार्यता प्राप्त करना और गैर-प्रमुख हवाईअड्डा प्रचालकों/डेवलपर्स द्वारा निवेश के सम्बन्ध में लिए जाने वाले निर्णयों को सुगम बनाना है।

******